जिला कार्यालय एवं जनसंपर्क अधिकारी

आई.टी. स्वीकृतियों की टीप्पणी

प्रस्तुत प्रकरण में ही प्रकाश लगाने पर नदी/नाली आदि अतिक्रमण हटाने बाद प्रकरण गाड़ी/पैदल में कराने हेतु आवश्यक, पंचायती आय किसी तकनीक त्रुटि से मद मीनर टाइप टेक्टर नहीं

जनसंपर्क अधिकारी
जिला पंचायत-सीतापुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.07 15:56:22 IST
Reason: SelfAttested